समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

आयकर विभाग ने अडानी ग्रुप की सीमेटं कंपनी एसीसी पर लगाया 23 करोड़ का जुर्माना

Publisher

Published on 03 Oct 2025

आयकर विभाग ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड पर 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पुराने मामलों से जुड़ी हुई है, जब यह कंपनी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। उस समय कंपनी का स्वामित्व स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप के पास था। इनकम टैक्स अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने कुछ वित्तीय वर्षों में अपनी वास्तविक आय को कम दर्शाया था।

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की जांच में पाया गया कि एसीसी लिमिटेड ने टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अपनी इनकम को पूरी तरह से सही तरीके से पेश नहीं किया। इस गड़बड़ी का खुलासा पुराने ऑडिट और जांच के दौरान हुआ। विभाग ने पाया कि कंपनी ने टैक्स योग्य आय को कम दिखाकर कर भार घटाने की कोशिश की थी। इसी आधार पर विभाग ने 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

गौरतलब है कि अडानी ग्रुप ने तीन साल पहले ही स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड को अधिग्रहित किया था। यह अधिग्रहण उस समय भारतीय कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा सौदा माना गया था। अडानी ग्रुप ने करीब 6.4 अरब डॉलर में दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया। उस सौदे के बाद अडानी ग्रुप भारत के सीमेंट सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गया था।

अडानी ग्रुप की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ग्रुप ने कहा है कि यह जुर्माना पुराने मामलों से संबंधित है और इसका मौजूदा मैनेजमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर विभाग की कार्रवाई उस दौर की है जब कंपनी का संचालन पूरी तरह से होल्सिम ग्रुप के हाथ में था। इसलिए इस जुर्माने का असर एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के मौजूदा संचालन या भविष्य की योजनाओं पर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला अडानी ग्रुप की छवि पर असर डाल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप पर वित्तीय पारदर्शिता और कारोबारी मॉडल को लेकर कई सवाल उठे हैं। ऐसे में एसीसी पर लगाया गया यह जुर्माना ग्रुप के लिए एक और चुनौती बन सकता है।

सीमेंट सेक्टर के जानकारों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से कंपनियों के टैक्स अनुपालन पर बड़ा संदेश जाता है। सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि बड़े कॉर्पोरेट समूह टैक्स चोरी या इनकम हेरफेर से बचें। यह जुर्माना भी उसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

बाजार की नजर इस बात पर भी है कि इस कार्रवाई का एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि मामला पुराने समय का है और मौजूदा प्रबंधन से इसका सीधा संबंध नहीं है, इसलिए लंबे समय में इसका खास असर नहीं दिखेगा। फिर भी अल्पावधि में निवेशकों की धारणा पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।

इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार और नियामक एजेंसियां अब बड़े कॉर्पोरेट घरानों की गतिविधियों पर और सख्ती से निगरानी रख रही हैं। टैक्स चोरी, आय कम दिखाने और वित्तीय हेरफेर जैसे मामलों में अब छूट मिलने की संभावना बेहद कम है।

कुल मिलाकर, अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी पर लगा यह जुर्माना एक बड़ा संदेश देता है कि चाहे कंपनी का स्वामित्व बदल ही क्यों न गया हो, पुराने मामलों में जवाबदेही तय होगी। यह घटना भारत के कॉर्पोरेट जगत के लिए पारदर्शिता और अनुपालन की अहमियत को और मजबूत करती है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या इस मामले में कंपनी अपील करती है या फिर विभाग के फैसले को मानकर जुर्माना चुकाती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.